

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-3/64/2013/32
प्रति,

भोपाल, दिनांक /06/2016

उप नियंत्रक
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल ।

विषय :- भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण ।

उपरोक्त विषय में विभागीय सूचना दिनांक ³⁰/6/2016 की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त सूचना का साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियाँ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।
संलग्न : यथोपरि

(सुप्रिया पेंडके)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 30/06/2016

क्रमांक-एफ-3/64/2013/32
प्रतिलिपि:-

आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की और सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि नगर तथा ग्राम निवेश की बेबसाईट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

See post.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

22/6/2016

संचालनालय	
नगर तथा ग्राम निवेश	
आवक क्र.	952
दिनांक	21/7/16
शाखा	IC Add. Dr. (N)
आवक	

DD 20

06/07/16

06-7-16

D/man(S)

*वेबसाईट पर
प्रकाशन करावे।*

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय

// सूचना //

भोपाल, दिनांक 30-6-16

/2016

क्रमांक-एफ-3-64/2013/32:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3/64/2013/32, दिनांक 09/10/2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम खजूरी खुर्द	138/ग	6.718 हेक्टेयर में से 2.2724 हेक्टेयर	आवासीय, कृषि एवं मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक) एवं मार्ग
		योग-	2.2724 हेक्टेयर		

- यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रु. 1,09,07,520/- (रुपये एक करोड़ नौ लाख सात हजार पाँच सौ बीस रुपये मात्र) दिनांक 13/06/2015 को भारतीय स्टेट बैंक एच ई टी शाखा के चालन क्रमांक- बी-15 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है ।
- उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(सी के साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

22/6/2016